राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.17(3)नविवि/नियम/2020 जयपुर, दिनांकः 24 SEP 2020

आदेश

नगरीय निकायों में भूमि/भवन के नाम हस्तान्तरण के मामलों में आम जनता को अनावश्यक परेशान करने की आम शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय आदेश दिनांक 08.01.2020 के द्वारा अन्य कई बिन्दुओं के साथ यह भी निर्देश जारी किये गये थे कि नाम हस्तान्तरण के मामलों में कोई भी अधिकारी मौका निरीक्षण के लिये नहीं जायेगा। लेकिन अब भी कई शिकायतें आ रही है कि अधिकारी मौके पर नाप–जोख के नाम पर आवेदकों को परेशान करते है।

अतः पुनः सख्त निर्देश दिये जाते है कि नाम हस्तान्तरण के मामलों में भूमि/भवन का मौका निरीक्षण करने कोई भी अधिकारी नहीं जायेगा। यदि फिर भी कोई अधिकारी मौके पर जाता है तो जाने वाले अधिकारी एवं भेजने वाले अधिकारी दोनो को निलम्बित कर उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) राज. सरकार।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner